संख्या-2/2021/सी0पी0-411/चौरासी-2-2021

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 09 दिसम्बर, 2021

विषयः वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्ष 3456 के अंतर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2554/एस0सी0डी0आर0सी0/यू0पी0/ब0आ0/20-21 दिनांक 11 अक्टूबर, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की अनुदान संख्या 21 के लेखाशीर्ष " 3456-सिविल पूर्ति-आयोजनेत्तर-001-निदेशन तथा प्रशासन-06-उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग एवं जिला फोरमों का अधिष्ठान-मानक मद 08-कार्यालय व्यय, मानक मद 09- विद्युत देय, मानक मद 10- जलकर व जलप्रभार, मानक मद 11- लेखन सामग्री एवं मानक मद 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण में हो रही बचतों से मानक मद 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद में संलग्न बी0एम0-9 के विवरणानुसार श्री राज्यपाल महोदया धनराशि रू0 68.00 लाख (रूपये अड़सठ लाख मात्र) को पुनर्विनियोग कर व्यय करने की निम्न शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

(1) विभाग द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) बचत की धनराशि विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी ।
(3) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा ।
(4) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
(5) विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा ।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) विभाग द्वारा व्यय की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के आर0ई0 संख्या-169/ई-7/दस/2021, दिनांक 09 दिसम्बर, 2021 में प्रदत्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

अरविन्द सिंह
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैवः-

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- प्रधान महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय ,उ0 प्र0, इलाहाबाद प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा ) प्रथम/द्वितीय ,उ0 प्र0, इलाहाबाद प्रयागराज।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7,वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,वित्त(लेखा) अनुभाग-1
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अरविन्द सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।